तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	प्रार्थनापत्र विविध 3/12 धनराज बनाम रामसहाय वगै०
22.3.17	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रा० में बहस हेतु समय चाहा। पत्रा० वास्ते बहस दि० 26.4.17 को पेश हो।
26.4.17	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रा० राजस्व लोक अदालत में दि० 14.6.17 को पेश हो।
14.6.17	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप भीलवाड़ा में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.7.17 को पेश हो।
26.07.17	वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। पत्रा० वास्ते बहस दि० 23.08.17 को पेश हो।
23.08.17	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रा० वास्ते बहस दि० 27.09.17 को पेश हो।
27.09.17	वकील उभयपक्ष उप०। पत्रा० वास्ते बहस दि० 12.10.17 को पेश हो।
12.10.17	वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु पत्रावली काफी समय से चल रही है। वकील उभयपक्ष ने समय चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० वास्ते बहस दि० 30.10.17 को पेश हो।
30.11.17	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु एक अवसर देने का विशेष अनुरोध किया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० वास्ते बहस दि० 20.11.17 को पेश हो।
20.11.17	वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि दावा पत्रावली दिनांक 02.12.11 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वादी बीमार होने एवं वकील वादी अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।
	contd.

	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः न्यायहित में पत्रावली को पुनः नंबर पर लिया जावे। जबकि वकील अप्रार्थी का कथन है कि दावा पत्रावली में साक्ष्य हेतु कई अवसर देने, अंतिम अवसर देने एवं कॉस्ट पर भी अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य नहीं करवाया गया है एवं वकील वादी द्वारा जानबूझकर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवाया गया है। इसलिए प्रार्थपत्र 09R4CPC खारिज करवाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल दावा पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा दिनांक 11.12.07 से साक्ष्य वादी हेतु नियत रहा है जिसमें साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर एवं कॉस्ट पर अवसर दिये गये है। उसके उपरान्त भी वकील वादी द्वारा साक्ष्य पूर्ण नहीं कराई गई है। साथ ही वकील वादी द्वारा दि 02.12.11 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र 09R4CPC खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 09R4CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेख हो।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Scanned by CamScanner